



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii).

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1849]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2015/भाद्र 9, 1937

No. 1849]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2015/BHADRA 9, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2015

का.आ. 2383(अ). निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिमें केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उसमें प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या मुद्दाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या मुद्दाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले की झाडोल और कोटरा तहसील में स्थित है और 511.41 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है;

और, जहाँ वन्य जीव अभयारण्य में विविध प्रकार के वास-स्थल हैं जहाँ जीव-जन्तु तथा वनस्पतियों कि विविधता पाई जाती है जिनमें प्रमुख जन्तु जातियाँ, स्लोथ बियर, तेंदुआ, धारीदार लकडबग्घा, फ्लाइंग स्कोरल, जंगली बिल्ली, चार सींग वाला हिरन, घड़ियाल सम्मिलित है ;

और, जहाँ, अभयारण्य में चैंपयिन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाये जाते हैं और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ— अनोगियासिस लेटीफोलिया, अदिना कारडिफोलिया, राइटिया टिगकटोरिया, बोसविलिया सेरेटा, गधुका इंडिका इत्यादि सम्मिलित है ;

और, फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 7.5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार लगभग 448.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 7.5 किलोमीटर तक क्षेत्र का है। इसका सीमा विवरण उपाबंध - I पर दिया गया है।

(2) प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोने के भीतर आने वाले 163 ग्रामों की सूची उपाबंध - II पर उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध - III पर उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राजस्थान सरकार और गुजरात राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए संबंधित राज्य सरकार अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन संबंधित राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) राजस्थान/गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलाप में और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल कारक होगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।

(9) राजस्थान और गुजरात राज्य सरकारें अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अलग-अलग आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय.- दोनों राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 12, 18, 24, 29, और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार संबंधित द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक स्रोतों - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना, संबंधित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग, द्वारा उस राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही नए होटलों और विश्रामस्थलों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) नैसर्गिक विरासत :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए संबंधित राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) वायु प्रदूषण :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए संबंधित राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981

का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** .- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा:
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** .- परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** .-

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए विस्फोटक गोदाम की स्थापना नहीं की जाएगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टीका-टिप्पणी (3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) नए और बालू खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खदानों और उनको तोड़ने की इकाइयां स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकता के लिए मकान का संनिर्माण या मरम्मत करने हेतु देशी टाइल्स या ईंटों के विनिर्माण के लिए भूमि की खुदाई के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी: (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अन्यायप्रथ क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	दुकानदारों द्वारा पोलीथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
10.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि अनुसार जारी रह सकेंगे। परन्तु विद्यमान आरा मशीनों के लाईसेंसों का नवीकरण नहीं किया जायेगा।
11.	मछली पकड़ना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी जल स्रोतों में वाणिज्यिक मछली पकड़ने पर पूर्ण रोक होगा। तथापि स्थानीय समुदायों द्वारा अपने सद्भावपूर्ण आजीविका की आवश्यकता के लिए मछलियों का पकड़ा जाना जारी रखा जा सकता है।
विनियमित क्रियाकलाप		
12.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
13.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी : परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। (ख) प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई है, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन सन्निर्माण के विस्तार तक एक किलोमीटर परे सद्भाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक सन्निर्माण

		क्रियाकलापों का विवरण जोनल महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा ।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना निदेश का अनुपालन किया जाएगा ।
15.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
16.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्साव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय,

	उद्योग ।	लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
अनुमत क्रियाकलाप		
28.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
30.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति- (1) राजस्थान राज्य : केन्द्र सरकार, राजस्थान राज्य के अंदर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो कि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|--|----------|
| (क) | जिला कलेक्टर, उदयपुर | -अध्यक्ष |
| (ख) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (ग) | पारिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय का नामित एक विशेषज्ञ | -सदस्य |
| (घ) | निम्नलिखित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी: लोक निर्माण विभाग, खनन, सिंचाई, पर्यटन पुलिस, नगर परिषद्, उद्योग, नगर विकास न्यास | -सदस्य |
| (ङ) | क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, | -सदस्य |
| (च) | वन्यजीव वार्डन, उदयपुर | -सदस्य |
| (छ) | उप-खण्ड अधिकारी, कोटरा | -सदस्य |

(ज)	खण्ड विकास अधिकारी, कोटरा	-सदस्य
(झ)	उप मुख्य वन्यजीन वार्डन, उदयपुर	-सदस्य- सचिव

(2) गुजरात राज्य : केन्द्र सरकार, गुजरात राज्य के अंदर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जोकि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	संबंधित जिला कलेक्टर	-अध्यक्ष
(ख)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का गुजरात सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि	-सदस्य
(ग)	पारिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय का नामित एक विशेषज्ञ	-सदस्य
(घ)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	-सदस्य
(ञ)	क्षेत्र का वरिष्ठ शहरी योजनाकार	-सदस्य
(ज)	वरिष्ठ संभागीय वन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कोटरा	-सदस्य- सचिव

6. निर्देश शर्तें -

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण)

अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति उस वर्ष की 30 जून तक वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक का अपनी उपाबंध 4 में दिए गए रूप विधान के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/54/2015-ई एस जेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -I

फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

पूर्व	गोहिनी (मौली) ग्राम के निकट, रामाकुण्डा वन ब्लॉक की पूर्वी सीमा से शुरू होकर केरिया ग्राम तक पहुँचने वाली सड़क के साथ - साथ तथा इसके पश्चात् वकल नदी के किनारे के साथ-साथ जुरली ग्राम तक पहुँचती है— फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, मानसी नदी के साथ आगे बढ़ते हुए पारदा ग्राम तक पहुँचती है - आगे दक्षिण की ओर एक तेज मोड़ लेते हुए, आदिवास वन ब्लॉक (घाटा, आदिवास, मौली, जालमपुरा, आमलता, धाला अमलिया, सोम गांवों के निकट) की पूर्वी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए - तथा इसके बाद जदीबर और गरनवास ग्रामों के निकट वन ब्लॉक सोम-II की पूर्वी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए - ग्राम खोखरा, चाँदवासा, कुंडला और वनज पोली वन के पूर्वी किनारे के निकट तक पहुँचती है।
दक्षिण	ग्राम वनज से शुरू होकर अरनव नदी के साथ, वीरपुर तक आगे अंतरराज्यीय सीमा

	के साथ परोसदा काम्पा, नवाभागा, खारीबेरी, आमली, भूरीधेबर, और मिथिबिली तक पहुँचती है ।
पश्चिम	चिक्ली के नजदीक मिथिबिली से शुरू होकर— नल्लाह के साथ—साथ चलकर बुदिया के माध्यम से मामेर तक पहुँचती है—इसके बाद गुरा के रास्ते रोड के साथ—साथ मथासारा पहुँचती है, उसके पश्चात् अंतरराज्यीय सीमा तक पहुँचती है—इसके बाद अंतरराज्यीय सीमा से आगे बढ़ती हुई थादिवेदी तक पहुँचती है—तत्पश्चात् वकल नदी के साथ बढ़ते हुए दाभीवास तक पहुँचती है—इसके बाद अंतरराज्यीय सीमा तथा थार रोड के साथ आगे बढ़ती हुई पाथरपादि के रास्ते थाला ग्राम तक पहुँचती है —इसके आगे पागरी नदी के साथ बढ़ती हुई पालेसर के रास्ते पादलवारा पहुँचती है जहाँ मातावाला नल्लाह और पामरी नदी का संगम है— और फिर मातावाला नल्लाह के साथ—साथ होते हुए ग्राम कुंडल तक पहुँचती है ।
उत्तर	कुंडल ग्राम से शुरू होते हुए पामरी नदी/नल्लाह के साथ—साथ होते हुए लादेन वन ब्लॉक के उत्तरी सीमा के निकट काकोल ग्राम तक पहुँचती है, —तत्पश्चात् कुंडल—रामाकुण्डा ग्राम के रास्ते आगे बढ़ते हुए रामकुन्दा वन की उत्तरी सीमा तक पहुँच कर प्रारंभ बिन्दू से मिल जाती है ।

उपाबंध II

फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम सं.	ग्रामों के नाम	तहसील	वन सीमा	अभ्यारण्य सीमा से दूरी	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6	7
1	सगवी	कोतरा	कोतरा	3 किलोमीटर	24°29'135'	73°14.564"
2	नाथर	कोतरा	कोतरा	3 किलोमीटर	24°29'30.79"	73°15'05.24"
3	पाडावडला	कोतरा	कोतरा	0.5 किलोमीटर	24°21'58.4"	73°10'45.2"
4	कथरिया	कोतरा	कोतरा	3.5 किलोमीटर	24°03'35.37"	73°22'04.24"
5	उमरी पाडर	कोतरा	कोतरा	4 किलोमीटर	24°29'04.35"	73°14'38.20"
6	ददगिया	कोतरा	कोतरा	6 किलोमीटर	24°29'18.78"	73°13'34.58"
7	लादन	कोतरा	कोतरा	2 किलोमीटर	24°31'39.9"	73°16'03.6"
8	दिगावारी काला	कोतरा	कोतरा	0.5 किलोमीटर	24°26'11.76"	73°13'56.25"
9	गोद	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°27'49.25"	73°15'15.75"
10	निचला थाला	कोतरा	कोतरा	4 किलोमीटर	24°23'34.58"	73°11'47.95"

11	उपला थाला	कोतरा	कोतरा	5 किलोमीटर	24°23'38.26"	73°12'29.82"
12	घनोधर	कोतरा	कोतरा	2.5 किलोमीटर	24°28'19.09"	73°14'17.10"
13	कुडल	कोतरा	कोतरा	3.5 किलोमीटर	24°18'10.15"	73°13'13.48"
14	जुनापादर	कोतरा	कोतरा	3.5 किलोमीटर	24°30'46.56"	73°14'48.63"
15	देवगरिया	कोतरा	कोतरा	1 किलोमीटर	24°22'57.78"	73°12'52.52"
16	कुआखेडी	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°21'51.2"	73°13'59.0"
17	गुजराय	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°23'07.61"	73°14'17.44"
18	पिलदान	कोतरा	कोतरा	3 किलोमीटर	24°24'26.08"	73°13'34.81"
19	सरली	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°24'34.77"	73°14'37.78"
20	सरली कि. नाल	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°24'34.21"	73°14'37.10"
21	मलादार काला	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°27'03.48"	73°15'46.18"
22	मलादार खुर्द	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°25'38.18"	73°15'15.03"
23	कुलदेरिया	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°30'10.9"	73°14'55.9"
24	अरविदा	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°23'26.19"	73°15'31.78"
25	कोछा	कोतरा	कोतरा	1 किलोमीटर	24°27'18.97"	73°14'38.57"
26	अतारिया	कोतरा	कोतरा	1 किलोमीटर	24°23'46.67"	73°13'56.28"
27	पाडलवाडा	कोतरा	कोतरा	1.5 किलोमीटर	24°27'12.41"	73°13'34.48"
28	गुररा	कोतरा	कोतरा	2 किलोमीटर	24°21'42.11"	73°13'55.84"
29	खदवा मोहा	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°21'01.1"	73°14'38.1"
30	कुकाद देव	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°21'15.6"	73°14'02.1"
31	थाला	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°19'39.5"	73°14'09.1"
32	वापा खेत	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°19'42.8"	73°13'30.0"
33	अजुंगपुरा	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°19'29.73"	73°13'29.16"
34	पाथरपडी	कोतरा	कोतरा	2 किलोमीटर	24°20'25.96"	73°13'23.90"
35	दुगरिया	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°18'31.5"	73°13'56.0"
36	बदली	कोतरा	कोतरा	4 किलोमीटर	24°18'58.52"	73°12'42.14"
37	वाल्की	कोतरा	कोतरा	0.5 किलोमीटर	24°17'52.0"	73°13'45.5"
38	कावन	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°15'50.05"	73°15'31.85"
39	लोहारी	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°13'38.35"	73°14'06.53"
40	अम्बा	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°10'31.7"	73°13'49.0"
41	वौकी	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°19'20.09"	73°12'04.44"
42	वाली	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°17'14.69"	73°14'16.99"
43	मोदोलवडा	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°16'40.02"	73°12'09.17"
44	खखरिया	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°17'21.76"	73°12'09.99"
45	पोपतली	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°16'05.93"	73°13'12.82"
46	शिशविया	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°15'28.67"	73°13'07.95"
47	अबदेह	कोतरा	कोतरा	0 किलोमीटर	24°13'21.95"	73°11'59.14"
48	बदली	कोतरा	कोतरा	2 किलोमीटर	24°19'19.0"	73°11'51.9"
49	गौपिल्ला	कोतरा	कोतरा	3 किलोमीटर	24°19'29.85"	73°11'16.62"


50	कोरदिकला	कोतरा	कोतरा	4 किलोमीटर	24°18'07.75"	73°11'16.86"
51	कुंठल	कोतरा	कोतरा	2.5 किलोमीटर	24°18'26.2"	73°12'49.4"
52	तालव	कोतरा	कोतरा	0.75 किलोमीटर	24°16'33.43"	73°13'29.30"
53	कजवा	कोतरा	कोतरा	2 किलोमीटर	24°17'08.66"	73°13'13.54"
54	उमारिया	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°14'49.54"	73°12'41.59"
55	महदी	कोतरा	नामेर	0.5 किलोमीटर	24°17'12.04"	73°09'09.47"
56	सादा	कोतरा	नामेर	3 किलोमीटर	24°15'06.83"	73°09'09.79"
57	नाल	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°15'651"	73°10'535"
58	खखरिया	कोतरा	नामेर	1.75 किलोमीटर	24°16'986"	73°12'308"
59	गौरा	कोतरा	नामेर	2.5 किलोमीटर	24°13'15.98"	73°06'30.00"
60	सावन रौरा	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°14'16.63"	73°07'44.13"
61	बक्सा	कोतरा	नामेर	0.5 किलोमीटर	24°15'681"	73°10'535"
62	बरला	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°15'339"	73°08'670"
63	बोदियारा	कोतरा	नामेर	0.5 किलोमीटर	24°14'40.4"	73°09'55.6"
64	बोदिकला	कोतरा	नामेर	1.5 किलोमीटर	24°18'08.5"	73°10'40.8"
65	पोपतली	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°16'119"	73°12'457"
66	शिशविया	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°16'131"	73°12'461"
67	अवदेह	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°13'22.35"	73°12'00.17"
68	डोलरिया	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°18'38.2"	73°08'13.4"
69	जोलीबोर	कोतरा	नामेर	2 किलोमीटर	24°07'290"	73°13'00.8"
70	दियोल	कोतरा	नामेर	2 किलोमीटर	24°17'460"	73°08'949"
71	गोदामारी	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°12'50.96"	73°08'58.67"
72	मंदी	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°12'30.55"	73°10'34.27"
73	नाकाला	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°11'31.26"	73°09'19.64"
74	दिकहाला	कोतरा	नामेर	2 किलोमीटर	24°13'0.34"	73°07'12.23"
75	दररी	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°13'6.95"	73°08'16.04"
76	बाशिला	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°11'39.65"	73°07'33.97"
77	नामेर	कोतरा	नामेर	0.5 किलोमीटर	24°10'11.70"	73°08'26.88"
78	बोदिया	कोतरा	नामेर	3 किलोमीटर	24°11'26.97"	73°05'47.46"
79	खोखरा	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°06'55.25"	73°09'51.49"
80	वेदादर	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°07'18.76"	73°13'24.15"
81	मोरछुछ	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°08'16.43"	73°07'54.79"
82	अमली	कोतरा	नामेर	0.5 किलोमीटर	24°07'37.02"	73°08'15.24"
83	भीमतालाई	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°10'17.55"	73°10'44.06"
84	कोलदारा	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°12'07.74"	73°11'48.61"
85	साभी	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°12'07.55"	73°11'48.50"
86	बाब बिरन	कोतरा	नामेर	0 किलोमीटर	24°10'47.73"	73°12'09.39"
87	माथारारा	कोतरा	नामेर	1 किलोमीटर	24°19'19.72"	73°08'16.73"
88	भूरीदेबर	कोतरा	नामेर	2.5 किलोमीटर	24°09'464"	73°06'454"

89	हसरता	कोतरा	गामेर	1 किलोमीटर	24 ⁰ 11'22.08"	73 ⁰ 11'06.17"
90	अशवाड़ा	कोतरा	गामेर	0 किलोमीटर	24 ⁰ 08'26.73"	73 ⁰ 11'16.92"
91	जनीवारा	कोतरा	गामेर	0 किलोमीटर	24 ⁰ 07'760"	73 ⁰ 09'355"
92	घोतद	कोतरा	गामेर	0.5 किलोमीटर	24 ⁰ 07'14.20"	73 ⁰ 11'05.16"
93	दिया	कोतरा	गामेर	0 किलोमीटर	24 ⁰ 06'41.40"	73 ⁰ 11'42.55"
94	माहद	कोतरा	गामेर	0.5 किलोमीटर	24 ⁰ 08'12.52"	73 ⁰ 09'09.63"
95	झेर	कोतरा	गामेर	0 किलोमीटर	24 ⁰ 05'50.73"	73 ⁰ 12'42.07"
96	कथोदी कालोनी	कोतरा	गामेर	0 किलोमीटर	24 ⁰ 07'292"	73 ⁰ 13'010"
97	खारावानी	कोतरा	गामेर	1 किलोमीटर	24 ⁰ 08'12.16"	73 ⁰ 13'34.29"
98	सूरा	कोतरा	गामेर	0 किलोमीटर	24 ⁰ 09'22.99"	73 ⁰ 13'22.89"
99	अम्बा	कोतरा	गामेर	0 किलोमीटर	24 ⁰ 11'33.66"	73 ⁰ 14'05.46"
100	मानसी	कोतरा	गामेर	0 किलोमीटर	24 ⁰ 10'14.0"	73 ⁰ 14'48.82"
101	खरीवेरी	कोतरा	गामेर	1 किलोमीटर	24 ⁰ 05'06.76"	73 ⁰ 10'44.02"
102	नवरखोला	कोतरा	गामेर	1.5 किलोमीटर	24 ⁰ 04'41.10"	73 ⁰ 09'39.13"
103	नवाभेगा	झादोल	पनरवा	1 किलोमीटर	24 ⁰ 03'32.57"	73 ⁰ 10'33.56"
104	वीरपुर	झादोल	पनरवा	1.5 किलोमीटर	24 ⁰ 59'571"	73 ⁰ 13'528"
105	डोलरिया	झादोल	पनरवा	2.5 किलोमीटर	24 ⁰ 17'56.22"	73 ⁰ 20'17.64"
106	अगलिया	झादोल	पनरवा	2.5 किलोमीटर	24 ⁰ 15'05.82"	73 ⁰ 21'10.26"
107	अमलेता	झादोल	पनरवा	2.5 किलोमीटर	24 ⁰ 18'42.67"	73 ⁰ 21'0.51"
108	भासना	झादोल	पनरवा	1.4 किलोमीटर	24 ⁰ 15'444"	73 ⁰ 19'276"
109	जतीवाड़ा	झादोल	पनरवा	1.25 किलोमीटर	24 ⁰ 25'45.70"	73 ⁰ 19'14.35"
110	वीरमाला	झादोल	पनरवा	1 किलोमीटर	24 ⁰ 24'46.66"	73 ⁰ 20'23.52"
111	अंजरोली	झादोल	पनरवा	2.0 किलोमीटर	24 ⁰ 18'10.68"	73 ⁰ 18'37.06"
112	भगोरवास	झादोल	पनरवा	2.5 किलोमीटर	24 ⁰ 18'06.89"	73 ⁰ 19'30.94"
113	भूरवाड़ा	झादोल	पनरवा	2.5 किलोमीटर	24 ⁰ 16'45.67"	73 ⁰ 18'15.35"
114	बिटा	झादोल	पनरवा	1.0 किलोमीटर	24 ⁰ 19'51.43"	73 ⁰ 18'53.42"
115	खुन्डा	झादोल	पनरवा	1.5 किलोमीटर	24 ⁰ 18'46.86"	73 ⁰ 18'31.79"
116	गामदी	झादोल	पनरवा	0.5 किलोमीटर	24 ⁰ 19'32.40"	73 ⁰ 17'38.11"
117	अतवाल	झादोल	पनरवा	2.5 किलोमीटर	24 ⁰ 22'46.16"	73 ⁰ 20'18.71"
118	नयागांव	झादोल	पनरवा	1.0 किलोमीटर	24 ⁰ 21'53.01"	73 ⁰ 18'32.03"
119	बन्सीवाड़ा	झादोल	पनरवा	2.0 किलोमीटर	24 ⁰ 25'55"	73 ⁰ 18'58.43"
120	जुदली	झादोल	पनरवा	1.0 किलोमीटर	24 ⁰ 24'27.30"	73 ⁰ 20'34.18"
121	बन्धगया	झादोल	पनरवा	1.5 किलोमीटर	24 ⁰ 24'24.416"	73 ⁰ 19.116"
122	भुजदा	झादोल	पनरवा	0.5 किलोमीटर	24 ⁰ 03'26.23"	73 ⁰ 20'39.55"
123	सरसव	झादोल	पनरवा	1.0 किलोमीटर	24 ⁰ 02.411'	73 ⁰ 20.143'
124	बन्ज	झादोल	पनरवा	3.5 किलोमीटर	24 ⁰ 59'549"	73 ⁰ 16'355"
125	दोलतिया	झादोल	पनरवा	0.25 किलोमीटर	24 ⁰ 28'380"	73 ⁰ 18'510"
126	काकोल कि नाल	झादोल	पनरवा	1.5 किलोमीटर	24 ⁰ 28'387"	73 ⁰ 18'516"

127	राम खुन्दा	झादोल	पनरवा	3.0 किलोमीटर	24°18'501"	73°20'128"
128	वन्धवैतियान	झादोल	पनरवा	5.0 किलोमीटर	24°28'334"	73°20'381"
129	गिजवी	झादोल	पनरवा	1.75 किलोमीटर	24°25'55.61"	73°20'39.47"
130	गालदर	झादोल	पनरवा	2.75 किलोमीटर	24°27'0.56"	73°21'0.33"
131	बिरोती	झादोल	पनरवा	2.00 किलोमीटर	24°22'36.66"	73°18'53.20"
132	सुरमाला	झादोल	पनरवा	0.5 किलोमीटर	24°16'52.86"	73°18'58.14"
133	दोब	झादोल	पनरवा	1.5 किलोमीटर	24°20.436'	73°18.478'
134	नेवज	झादोल	पनरवा	0.75 किलोमीटर	24°20'16.89"	73°19'35.80"
135	भाखुम्बा	झादोल	पनरवा	1.25 किलोमीटर	24°21'08.84"	73°18'11.31"
136	अदकालिया	झादोल	पनरवा	1.25 किलोमीटर	24°19'14.66"	73°19'35.45"
137	नाल नानम	झादोल	पनरवा	2.50 किलोमीटर	24°18'58.35"	73°20'17.61"
138	अरालेकर	झादोल	पनरवा	2.5 किलोमीटर	24°17'243"	73°19'074"
139	डोलरिया	झादोल	पनरवा	2.15 किलोमीटर	24°11'149"	73°16'572"
140	बोबरवादा	झादोल	पनरवा	1.5 किलोमीटर	24°16'05.331"	73°20'02.09"
141	मिशान	झादोल	पनरवा	1.0 किलोमीटर	24°15'29.37"	73°19'56.22"
142	वयावडा	झादोल	पनरवा	0.5 किलोमीटर	24°16'31.81"	73°17'43.24"
143	कोटी	झादोल	पनरवा	0.5 किलोमीटर	24°15'30.60"	73°17'06.08"
144	गुगर	झादोल	पनरवा	1.0 किलोमीटर	24°16'11.88"	73°17'07.20"
145	पतंगी	झादोल	पनरवा	1.25 किलोमीटर	24°16'11.80"	73°17'7.10"
146	भेजरवाडा	झादोल	पनरवा	1.25 किलोमीटर	24°15'211"	73°17'339"
147	आमलता	झादोल	पनरवा	4.0 किलोमीटर	24°18'500"	73°20'127"
148	थाला	झादोल	पनरवा	4.0 किलोमीटर	24°17'19.21"	73°21'0.27"
149	जलामपुरा	झादोल	पनरवा	4.0 किलोमीटर	24°19'23.81"	73°21'0.47"
150	महौली	झादोल	पनरवा	4.0 किलोमीटर	24°20'26.35"	73°20'59.92"
151	अदीवास	झादोल	पनरवा	4.5 किलोमीटर	24°21'10.04"	73°21'21.42"
152	घाटा	झादोल	पनरवा	4.5 किलोमीटर	24°17'387"	73°20'094"
153	सतुका	झादोल	पनरवा	5.5 किलोमीटर	24°22'12.35"	73°21'22.23"
154	परदा	झादोल	पनरवा	3.5 किलोमीटर	24°23'12.06"	73°21'0.45"
155	मंडावा	झादोल	पनरवा	2.25 किलोमीटर	24°11'14.84"	73°17'38.52"
156	कोवरियन	झादोल	पनरवा	1.5 किलोमीटर	24°16'33.50"	73°20'17.79"
157	अगलिया	झादोल	पनरवा	1.5 किलोमीटर	24°15'09.57"	73°21'12.08"
158	सोग	झादोल	पनरवा	2.0 किलोमीटर	24°11'025"	73°19'59.93"
159	जदीवर	झादोल	पनरवा	3.0 किलोमीटर	24°09.221"	73°22.013'
160	खोखरा	झादोल	पनरवा	2.25 किलोमीटर	24°06'16.61"	73°19'27.75"
161	खुन्डाला	झादोल	पनरवा	2.5 किलोमीटर	24°01.503'	73°19.404'
162	गाई घतिया	झादोल	पनरवा	1.0 किलोमीटर	24°00'579"	73°14'387"
163	वाल	झादोल	पनरवा	0.5 किलोमीटर	24°14.219'	73°00.506"

उपाबंध III

फूलवाड़ी की नाल पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



370265/15-38

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2015

S.O. 2383(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub - section (2), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification should be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Phulwari Ki Nal Wildlife Sanctuary is located in Jhadol and Kotra Tehsils of Udaipur District, Rajasthan state is spread over an area of 511.41 square kilometers;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has varied habitat having diversified fauna and flora and the important faunal species include Sloth Bear, Leopard, Striped Hyena, Flying Squirrel, Jungle Cat, Four horned Antelope, Crocodile;

AND WHEREAS, the sanctuary has Tropical Dry Deciduous Forest as per Champion and Seth Classification and the dominant tree species include *Anogeissus latifolia*, *Adina cordifolia*, *Wrightia tinctoria*, *Boswellia serrata*, *Madhuca indica* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Phulwari Ki nal Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 7.5 kilometers from the outer boundary of the Phulwari Ki Nal Wildlife Sanctuary, in the State of Rajasthan as the Phulwari Ki Nal Wildlife Sanctuary Eco-sensitive zone (hereinafter referred as the Eco-sensitive zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Phulwari Ki Nal Eco-sensitive Zone-** (1) The Eco sensitive zone is spread over an area of 448.89 square kilometer with an extent varying up to 7.5 kilometers from the nearest outer boundary of Phulwari Ki nal Wildlife Sanctuary and the boundary description of such zone is given in **Annexure I**.

(2) The list of 163 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II**.

(3) The map of Eco sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure III**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Governments of Rajasthan and Gujarat shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan for area under their jurisdiction, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the respective State Governments.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone falling in their jurisdiction shall be prepared by the respective State Governments in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (ix) Rajasthan/Gujarat State Pollution Control Board,
- (x) Irrigation
- (xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Governments of Rajasthan and Gujarat shall prepare separate Zonal Master Plan for the area under their jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Governments** - Both the State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the respective State Governments, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Governments in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the Governments of Rajasthan/Gujarat.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Phulwari Ki nal Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the concerned State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the concerned State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Industrial Units

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

(c) No new explosive godown shall be established within the Eco-sensitive Zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags by shopkeepers	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
11.	Fishing	There shall be complete ban on commercial fishing in all the water bodies in the Eco-sensitive zone. However, fishing can be carried out by local communities for their bonafide livelihood needs.
Regulated Activities		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or

		expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
13.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer of the Protected Area:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3.</p> <p>(b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable laws and regulations, if any.</p> <p>(C) Beyond one kilometer upto extent of the Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per zonal master plan.</p> <p>(d) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.</p>
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;</p> <p>(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p> <p>(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;</p> <p>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;</p> <p>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;</p> <p>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(ii) Promote underground cabling
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activity		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) Rajasthan: The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan, which shall comprise of the following namely:-

- (i) District Collector, Udaipur ---Chairman
- (ii) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case --- Member
- (iii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case
- (iv-xii) One District level officer from each of the following departments:
PWD, Mining, irrigation, Tourism, police, Municipal Council, Industry, UIT ---Members
- (xiii) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board ---Member
- (xiv) Hon. Wildlife Warden, Udaipur ---Member
- (xv) Sub-Divisional Officer, Kotra ---Member
- (xvi) Block Development Officer, Kotra ---Member
- (xvii) Deputy Chief Wildlife Warden Udaipur ---Member Secretary

(2) Gujarat: The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Gujarat, which shall comprise of, namely:-

- (a) Concerned District Collector --- Chairman
- (b) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Gujarat for a term of one year in each case ---Member
- (c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Gujarat for a term of one year in each case
- (d) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board ---Member
- (e) Senior Town Planner of the area ---Member
- (f) Concerned Divisional Forest Officer ---Member Secretary

6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
 - (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at Annexure IV.
 - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/54/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE I

Boundary Description of Phulwari Ki Nal Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone

East	Starting from eastern boundary of <i>Ramakunda</i> forest block near <i>Mohini (Mauli)</i> village, moving along the road reaching <i>Kyaria</i> village – moving further along the bank of <i>Vakal</i> river reaching village <i>Jurli</i> - then taking turn towards east, moving along the <i>Manasi nadi</i> upto village <i>Parda</i> – further taking a sharp turn towards south, moving along the eastern boundary of forest block <i>Aadiwas</i> (close to village <i>Ghata, Aadiwas, Mahuli, Jalampura, Amlata, Dhala, Amlia, Som</i>) – further moving along the eastern boundary of forest block <i>Som-II</i> close to village <i>Jadiber</i> and <i>Garanvas</i> – further moving from this point reaching village <i>Khokhra, Chandvasa, Kundla</i> and <i>Vanaj</i> close to eastern edge of <i>Polo</i> forest.
South	Starting from village <i>Vanaj</i> , moving further along the river <i>Arnav</i> upto <i>Virpur</i> – further reaching <i>Parosda Kampa, Nawabhaga, Khōriberi, Aamli, Bhuridhebar</i> and <i>Mithibili</i> along the interstate boundary.
West	Starting from <i>Mithibili</i> near <i>Chikhli</i> , moving along <i>nallah</i> reaching <i>Mamer</i> via <i>Budiya</i> – further moving along the road reaching <i>Mathasara</i> via <i>Gura</i> , then reaching interstate boundary – further moving from the interstate boundary reaching <i>Thadivedi</i> – further moving along the <i>Vakal</i> river reaching the <i>Dabhivas</i> – further moving along interstate boundary and Tar road reaching <i>Thala</i> village via <i>Patharpadi</i> – moving ahead along the <i>Pamri</i> river, reaching <i>Padalwara</i> via <i>Palesar</i> at confluence of <i>Matawala nallah</i> and <i>Pamri</i> river – further moving along <i>Matawala nallah</i> and reaching village <i>Kundal</i> .
North	Starting from village <i>Kundal</i> , moving along <i>Pamri</i> river / <i>nallah</i> , reaching <i>Kalol</i> village close to northern edge of the <i>Laden</i> forest block – then moving further via <i>Kundal</i> – <i>Ramkunda</i> village reaching northern boundary of <i>Ramkunda</i> forest block to join the starting point.

3702GF/K-4B

Annexure II

List of villages with Co-ordinates confined to Phulwari ki nal Eco-sensitive zone

S. No.	Name of Village	Tehsil	Forest Range	Distance from sanctuary boundary	latitude	longitude
1	2	3	4	5	6	7
1	Nagvi	Kotra	Kotra	3 km	24°29'135'	73°14'564"
2	Nayar	Kotra	Kotra	3 km	24°29'30.79"	73°15'05.24"
3	Padavadla	Kotra	Kotra	0.5 km	24°21'58.4"	73°10'45.2"
4	Kantharia	Kotra	Kotra	3.5 km	24°03'35.37"	73°22'04.24"
5	Umri pader	Kotra	Kotra	4 km	24°29'04.35"	73°14'38.20"
6	Dadmiya	Kotra	Kotra	6 km	24°29'18.78"	73°13'34.58"
7	Ladan	Kotra	Kotra	2 km	24°31'39.9"	73°16'03.6"
8	Digawari kala	Kotra	Kotra	0.5 km	24°26'11.76"	73°13'56.25"
9	Goad	Kotra	Kotra	0 km	24°27'49.25"	73°15'15.75"
10	Nichla thala	Kotra	Kotra	4 km	24°23'34.58"	73°11'47.95"
11	Upla thala	Kotra	Kotra	5 km	24°23'38.26"	73°12'29.82"
12	Dhanodar	Kotra	Kotra	2.5 km	24°28'19.09"	73°14'17.10"
13	Kundal	Kotra	Kotra	3.5 km	24°18'10.15"	73°13'13.48"
14	Junapadar I	Kotra	Kotra	3.5 km	24°30'46.56"	73°14'48.63"
15	Dhedmariya	Kotra	Kotra	1 km	24°22'57.78"	73°12'52.52"
16	Kuakhedi	Kotra	Kotra	0 km	24°21'51.2"	73°13'59.0"
17	Gujrai	Kotra	Kotra	0 km	24°23'07.61"	73°14'17.44"
18	Bilwan	Kotra	Kotra	3 km	24°24'26.08"	73°13'34.81"
19	Sarli	Kotra	Kotra	0 km	24°24'34.77"	73°14'37.78"
20	Sarli ki nal	Kotra	Kotra	0 km	24°24'34.21"	73°14'37.10"
21	Maldar kala	Kotra	Kotra	0 km	24°27'03.48"	73°15'46.18"
22	Maldar khurd	Kotra	Kotra	0 km	24°25'38.18"	73°15'15.03"
23	Fulderia	Kotra	Kotra	0 km	24°30'10.9"	73°14'55.9"
24	Arivada	Kotra	Kotra	0 km	24°23'26.19"	73°15'31.78"
25	Kaucha	Kotra	Kotra	1 km	24°27'18.97"	73°14'38.57"
26	Antalia	Kotra	Kotra	1 km	24°23'46.67"	73°13'56.28"
27	Padlwada	Kotra	Kotra	1.5 km	24°27'12.41"	73°13'34.48"
28	Gurra	Kotra	Kotra	2 km	24°21'42.11"	73°13'55.84"
29	Kadwa mahua	Kotra	Kotra	0 km	24°21'01.1"	73°14'38.1"
30	Kukad dev	Kotra	Kotra	0 km	24°21'15.6"	73°14'02.1"
31	Thala	Kotra	Kotra	0 km	24°19'39.5"	73°14'09.1"
32	Chapakhet	Kotra	Kotra	0 km	24°19'42.8"	73°13'30.0"
33	Arjunpura	Kotra	Kotra	0 km	24°19'29.73"	73°13'29.16"
34	Patherpadi	Kotra	Kotra	2 km	24°20'25.96"	73°13'23.90"
35	Dugriya	Kotra	Kotra	0 km	24°18'31.5"	73°13'56.0"
36	Badli	Kotra	Kotra	4 km	24°18'58.52"	73°12'42.14"
37	Walli	Kotra	Kotra	0.5 km	24°17'52.0"	73°13'45.5"
38	Khachn	Kotra	Kotra	0 km	24°15'50.05"	73°15'31.85"
39	Lohari	Kotra	Kotra	0 km	24°13'38.35"	73°14'06.53"

S. No.	Name of Village	Tehsil	Forest Range	Distance from sanctuary boundary	latitude	longitude
40	Amba	Kotra	Kotra	0 km	24°10'31.7"	73°13'49.0"
41	Choki	Kotra	Kotra	0 km	24°19'20.09"	73°12'04.44"
42	Wali	Kotra	Kotra	0 km	24°17'14.69"	73°14'16.99"
43	Godalwada	Kotra	Kotra	0 km	24°16'40.02"	73°12'09.17"
44	Khakhriya	Kotra	Kotra	0 km	24°17'21.76"	73°12'09.99"
45	Poptali	Kotra	Kotra	0 km	24°16'05.93"	73°13'12.82"
46	Shishviya	Kotra	Kotra	0 km	24°15'28.67"	73°13'07.95"
47	Aambadeh	Kotra	Kotra	0 km	24°13'21.95"	73°11'59.14"
48	Badli	Kotra	Kotra	2 km	24°19'19.0"	73°11'51.9"
49	Gaupipla	Kotra	Kotra	3 km	24°19'29.85"	73°11'16.62"
50	Bordikala	Kotra	Kotra	4 km	24°18'07.75"	73°11'16.86"
51	Kundal	Kotra	Kotra	2.5 km	24°18'26.2"	73°12'49.4"
52	Talav	Kotra	Kotra	0.75 km	24°16'33.43"	73°13'29.30"
53	Kanjva	Kotra	Kotra	2 km	24°17'08.66"	73°13'13.54"
54	Umria	Kotra	Mamer	0 km	24°14'49.54"	73°12'41.59"
55	Mahadi	Kotra	Mamer	0.5 km	24°17'12.04"	73°09'09.47"
56	Sada	Kotra	Mamer	3 km	24°15'06.83"	73°09'09.79"
57	Nal	Kotra	Mamer	0 km	24°15'65.1"	73°10'535"
58	Khakhriya	Kotra	Mamer	1.75 km	24°16'986"	73°12'308"
59	Gurra	Kotra	Mamer	2.5 km	24°13'15.98"	73°06'30.00"
60	Savan syara	Kotra	Mamer	1 km	24°14'16.63"	73°07'44.13"
61	Baksa	Kotra	Mamer	0.5 km	24°15'681"	73°10'535"
62	Varla	Kotra	Mamer	0 km	24°15'339"	73°08'670"
63	Dodiyara	Kotra	Mamer	0.5 km	24°14'40.4"	73°09'55.6"
64	Bodikala	Kotra	Mamer	1.5 km	24°18'08.5"	73°10'40.8"
65	Poptali	Kotra	Mamer	0 km	24°16'119"	73°12'457"
66	Sisvia	Kotra	Mamer	0 km	24°16'131"	73°12'461"
67	Aambadeh	Kotra	Mamer	0 km	24°13'22.35"	73°12'00.17"
68	Dolriya	Kotra	Mamer	0 km	24°18'38.2"	73°08'13.4"
69	Jolibor	Kotra	Mamer	2 km	24°07'290"	73°13'00.8"
70	Viyol	Kotra	Mamer	2 km	24°17'460"	73°08'949"
71	Godamari	Kotra	Mamer	1 km	24°12'50.96"	73°08'58.67"
72	Medi	Kotra	Mamer	1 km	24°12'30.55"	73°10'34.27"
73	Nakola	Kotra	Mamer	1 km	24°11'31.26"	73°09'19.64"
74	Chikhala	Kotra	Mamer	2 km	24°13'0.34"	73°07'12.23"
75	Dehri	Kotra	Mamer	1 km	24°13'6.95"	73°08'16.04"
76	Vasila	Kotra	Mamer	1 km	24°11'39.65"	73°07'33.97"
77	Mamer	Kotra	Mamer	0.5 km	24°10'11.70"	73°08'26.88"
78	Budhiya	Kotra	Mamer	3 km	24°11'26.97"	73°05'47.46"
79	Khokhra	Kotra	Mamer	1 km	24°06'55.25"	73°09'51.49"
80	Bedader	Kotra	Mamer	0 km	24°07'18.76"	73°13'24.15"
81	Morchucha	Kotra	Mamer	1 km	24°08'16.43"	73°07'54.79"
82	Aamli	Kotra	Mamer	0.5 km	24°07'37.02"	73°08'15.24"


S. No.	Name of Village	Tehsil	Forest Range	Distance from sanctuary boundary	latitude	longitude
83	Bhintalai	Kotra	Mamer	0 km	24°10'17.55"	73°10'44.06"
84	Koldara	Kotra	Mamer	0 km	24°12'07.74"	73°11'48.61"
85	Sani	Kotra	Mamer	0 km	24°12'07.55"	73°11'48.50"
86	Bav viran	Kotra	Mamer	0 km	24°10'47.73"	73°12'09.39"
87	Mathasara	Kotra	Mamer	1 km	24°19'19.72"	73°08'16.73"
88	Bhurideber	Kotra	Mamer	2.5 km	24°09'464"	73°06'454"
89	Hasreta	Kotra	Mamer	1 km	24°11'22.08"	73°11'06.17"
90	Ashavada	Kotra	Mamer	0 km	24°08'26.73"	73°11'16.92"
91	Janivas	Kotra	Mamer	0 km	24°07'760"	73°09'355"
92	Dothd	Kotra	Mamer	0.5 km	24°07'14.20"	73°11'05.16"
93	Diya	Kotra	Mamer	0 km	24°06'41.40"	73°11'42.55"
94	Mahad	Kotra	Mamer	0.5 km	24°08'12.52"	73°09'09.63"
95	Jher	Kotra	Mamer	0 km	24°05'50.73"	73°12'42.07"
96	Kathodi colony	Kotra	Mamer	0 km	24°07'292"	73°13'010"
97	Kharavani	Kotra	Mamer	1 km	24°08'12.16"	73°13'34.29"
98	Sura	Kotra	Mamer	0 km	24°09'22.99"	73°13'22.89"
99	Aamba	Kotra	Mamer	0 km	24°11'33.66"	73°14'05.46"
100	Manasi	Kotra	Mamer	0 km	24°10'14.0"	73°14'48.82"
101	Khariveri	Kotra	Mamer	1 km	24°05'06.76"	73°10'44.02"
102	Navakhola	Kotra	Mamer	1.5 km	24°04'41.10"	73°09'39.13"
103	Navabhaga	Jhadol	Panarva	1 km	24°03'32.57"	73°10'33.56"
104	Virpur	Jhadol	Panarva	1.5 km	24°59'571"	73°13'528"
105	Dolriya	Jhadol	Panarva	2.5 Km	24°17'56.22"	73°20'17.64"
106	Amliya	Jhadol	Panarva	2.5 km	24°15'05.82"	73°21'10.26"
107	Amleta	Jhadol	Panarva	2.5 Km	24°18'42.67"	73°21'0.51"
108	Bhasana	Jhadol	Panarva	1.4 km	24°15'444"	73°19'276"
109	Jetiwada	Jhadol	Panarva	1.25km	24°25'45.70"	73°19'14.35"
110	Virumala	Jhadol	Panarva	1 km	24°24'46.66"	73°20'23.52"
111	Aanjroli	Jhadol	Panarva	2.0 km	24°18'10.68"	73°18'37.06"
112	Bhagorvas	Jhadol	Panarva	2.5 km	24°18'06.89"	73°19'30.94"
113	Burawad a	Jhadol	Panarva	2.5 km	24°16'45.67"	73°18'15.35"
114	Bitta	Jhadol	Panarva	1.0 km	24°19'51.43"	73°18'53.42"
115	Kunda	Jhadol	Panarva	1.5 km	24°18'46.86"	73°18'31.79"
116	Gamdi	Jhadol	Panarva	0.5 km	24°19'32.40"	73°17'38.11"
117	Atwal	Jhadol	Panarva	2.5 km	24°22'46.16"	73°20'18.71"
118	Nayagon	Jhadol	Panarva	1.0 km	24°21'53.01"	73°18'32.03"
119	Bansiwada	Jhadol	Panarva	2.0 km	24°25'55"	73°18'58.43"
120	Judli	Jhadol	Panarva	1.0 km	24°24'27.30"	73°20'34.18"
121	Venagya	Jhadol	Panarva	1.5 km	24°24'24.416"	73°19.116"
122	Bujda	Jhadol	Panarva	0.5 km	24°03'26.23"	73°20'39.55"
123	Sarsav	Jhadol	Panarva	1.0 km	24°02.411'	73°20.143'
124	Vanaj	Jhadol	Panarva	3.5 km	24°59'549"	73°16'355"
125	Doltiya	Jhadol	Panarva	0.25 km	24°28'380"	73°18'510"

S. No.	Name of Village	Tehsil	Forest Range	Distance from sanctuary boundary	latitude	longitude
126	Kakol ki nal	Jhadol	Panarva	1.5 km	24°28'387"	73°18'516"
127	Ram kunda	Jhadol	Panarva	3.0Km	24°18'501"	73°20'128"
128	Vanchatiyan	Jhadol	Panarva	5.0 Km	24°28'334"	73°20'381"
129	Gejvi	Jhadol	Panarva	1.75 Km	24°25'55.61"	73°20'39.47"
130	Galder	Jhadol	Panarva	2.75 Km	24°27'0.56"	73°21'0.33"
131	Biroti	Jhadol	Panarva	2.00 Km	24°22'36.66"	73°18'53.20"
132	Surimala	Jhadol	Panarva	0.5 Km	24°16'52.86"	73°18'58.14"
133	Dob	Jhadol	Panarva	1.5 Km	24°20.436'	73°18.478'
134	Nevej	Jhadol	Panarva	0.75 Km	24°20'16.89"	73°19'35.80"
135	Bhakumba	Jhadol	Panarva	1.25 Km	24°21'08.84"	73°18'11.31"
136	Adkaliya	Jhadol	Panarva	1.25 Km	24°19'14.66"	73°19'35.45"
137	Nal nanam	Jhadol	Panarva	2.50 Km	24°18'58.35"	73°20'17.61"
138	Aralaker	Jhadol	Panarva	2.5 Km	24°17'243"	73°19'074"
139	Dolriya	Jhadol	Panarva	2.15 Km	24°11'149"	73°16'572"
140	Bobrawada	Jhadol	Panarva	1.5 Km	24°16'05.331"	73°20'02.09"
141	Bheshan	Jhadol	Panarva	1.0 Km	24°15'29.37"	73°19'56.22"
142	Vayawada	Jhadol	Panarva	0.5 Km	24°16'31.81"	73°17'43.24"
143	Koti	Jhadol	Panarva	0.5 Km	24°15'30.60"	73°17'06.08"
144	Gugar	Jhadol	Panarva	1.0 Km	24°16'11.88"	73°17'07.20"
145	Patmi	Jhadol	Panarva	1.25 Km	24°16'11.80"	73°17'7.10"
146	Bajerwada	Jhadol	Panarva	1.25 Km	24°15'211"	73°17'339"
147	Aamlata	Jhadol	Panarva	4.0 Km	24°18'500"	73°20'127"
148	Dhala	Jhadol	Panarva	4.0 Km	24°17'19.21"	73°21'0.27"
149	Jalampura	Jhadol	Panarva	4.0 Km	24°19'23.81"	73°21'0.47"
150	Mahuli	Jhadol	Panarva	4.0 Km	24°20'26.35"	73°20'59.92"
151	Aadivas	Jhadol	Panarva	4.5 Km	24°21'10.04"	73°21'21.42"
152	Ghata	Jhadol	Panarva	4.5 Km	24°17'387"	73°20'094"
153	Satoka	Jhadol	Panarva	5.5 Km	24°22'12.35"	73°21'22.23"
154	Parda	Jhadol	Panarva	3.5 Km	24°23'12.06"	73°21'0.45"
155	Mandava	Jhadol	Panarva	2.25 Km	24°11'14.84"	73°17'38.52"
156	Kocharian	Jhadol	Panarva	1.5 Km	24°16'33.50"	73°20'17.79"
157	Aamliya	Jhadol	Panarva	1.5 Km	24°15'09.57"	73°21'12.08"
158	Som	Jhadol	Panarva	2.0 Km	24°11'025"	73°19'59.93"
159	Jadiber	Jhadol	Panarva	3.0 Km	24°09.221"	73°22.013'
160	Khokhra	Jhadol	Panarva	2.25 Km	24°06'16.61"	73°19'27.75"
161	Kundala	Jhadol	Panarva	2.5 Km	24°01.503'	73°19.404'
162	Bahi ghatiya	Jhadol	Panarva	1.0 Km	24°00'579"	73°14'387"
163	Wal	Jhadol	Panarva	0.5 Km	24°14.219'	73°00.506"

Map of the Eco Sensitive Zone along with coordinates of prominent points

(39)

Annex. A1



Annexure IV**Pro forma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.